संख्या-22/2018/ 1028/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2018

विषय -ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में सामान्य मद के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 786.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-360/नि0शा0, दिनांक 09 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में सामान्य मद के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 786.30 लाख (रू0 सात करोड छियासी लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 1203113/ 37/ 2017 एफवाई दिनांक 26 मार्च, 2018, जिसका शुद्धि पत्र संख्या-जे0-1203113/37/2017 एफवाई दिनांक11 जून, 2018 निर्गत किया गया है, द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल रू0 7665.67 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख राज्यांश रू0 1388.04 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 3997.77 लाख की धनराशि निहित है। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/ 48/2017-एफवाई दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि पूर्व में निदेशक मत्स्य के पत्र दिनांक 11 जून,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वर्ष 2017-18 की ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त द्वितीय किश्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में सामन्य मद के अन्तर्गत केन्द्रांश रू0 759.09 लाख एवं राज्यांश रू0 383.75 लाख अर्थात कुल रू0 1142.84 लाख (धनराशि रू0 ग्यारह करोड बयालीस लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-20/2018/ 883/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 10 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

4- अत: निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वर्ष 2017-18 की ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) हेतु वर्ष 2018-19 में सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1142.84 लाख (केन्द्रांश रू0 759.09 लाख एवं राज्यांश रू0 383.75 लाख) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 857.16 लाख में से सामान्य मद के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 471.78 लाख एवं राज्यांश रू0 314.52 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 786.30 लाख (रू0 सात करोड छियासी लाख तीस हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना/गतिविधियों का नाम फंडिंग पैटर्न (केन्द्रांश: राज्यांश: लाभार्थी अंश)	लक्ष्य (सं0/ हे0 में)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कुल धनराशि (केन्द्रांश+ राज्यांश)	केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत होने वाली धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	**राज्यांश**	**कुल**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	नये तालाबों का निर्माण **INLAND/SALINE(GEN) (24%:16%:60%)**	25	7	175.00	70.00	32.76	21.84	**54.60**	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक संख्या-नि0शा0/360, दिनांक 09 जुलाई,2018 द्वारा संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट /विवरण के अनुसार
2	नये तालाबों में निवेश **INLAND/SALINE(GEN) (24%:16%:60%)**	25	2.5	62.50	25.00	11.70	7.80	**19.50**	
3	तालाब सुधार **(GEN) (24%:16%:60%)**	325	3.5	1137.50	455.00	168.89	112.60	**281.49**	
4	तालाब सुधार निवेश **(GEN) (24%:16%:60%)**	325	1.5	487.50	195.00	70.46	46.97	**117.43**	
5	फिश सीड रियरिंग यूनिट (GEN) **(24%:16%:60%)**	265	6	1590.00	636.00	187.97	125.31	**313.28**	
					योग-	**471.78**	**314.52**	**786.30**	-

(रू0 सात करोड छियासी लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर ,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या-2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/ 48/2017-एफवाई दिनांक 29 मई,2018 में दिये गये निर्देशों/ शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(राज्यांश) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018,तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

<u>संख्या-22/2018/ 1028(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।